पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 174/2020

अनवान :

1. महेन्द्रसिंह पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी जाटान त0 भादरा।

:– वादी

ब नाम

1. जेठाराम पुत्र श्री शेराराम जाति जाट निवासी जाटान त0 भादरा।
2. हरिसिंह पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी जाटान त0 भादरा।
3. चन्द्रसिंह पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी जाटान त0 भादरा।
4. जगदीश प्रसाद पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी जाटान त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनिवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं 53/48 के खसरा स0 243 की 9.3580है0 खसरा स 243/3 की 1.5810है0 कुल 10.9390है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जेठाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में तन्हा प्रतिवादी सं 01 जेठाराम के बजाए वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 महेन्द्र सिंह प्रतिवादी स0 1 जेठाराम प्रतिवादी सं 02 हरिसिंह प्रतिवादी सं0 3 चन्द्रसिंह प्रतिवादी सं 4 जगदीश प्रसाद को बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:31:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 174/2020

1. महेन्द्रसिंह पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी जाटान त0 भादरा।

:– वादी

ब नाम

1. जेठाराम पुत्र श्री शेराराम जाति जाट निवासी जाटान त0 भादरा।
2. हरिसिंह पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी जाटान त0 भादरा।
3. चन्द्रसिंह पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी जाटान त0 भादरा।
4. जगदीश प्रसाद पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी जाटान त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : **वादी**
वकील श्री सतवीर बैनिवाल : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक : 15-02-2021**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं 53/48 के खसरा स0 243 की 9.3580है0 खसरा स 243/3 की 1.5810है0 कुल 10.9390है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जेठाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा शेराराम की खातेदारी हुआ करती थी जो प्रतिवादी सं0 1 जेठाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाज़ा यही बिनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने [illegible] वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 की ओर से आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। राजीनामा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए व अपने पहचान [illegible] प्रतिवादी सं 05 को वकील वादी ने तर्क अंकित [illegible] द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:31:36 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 महेन्द्र पुत्र जेठाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि नामान्तरण प्रदर्श 1 खतौनीदरमियानी संवत 2000 प्रदर्श 2 जमाबंदी खेवटी खतौनी ग्राम जाटान प्रदर्श 3, जमाबंदी सवंत 2073–76 प्रदर्श 4 वारिस प्रमाण प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद मे वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण मे वादी ने ग्राम जाटान के राजस्व रिकार्ड मे अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि नामान्तरण प्रदर्श 1 खतौनीदरमियानी संवत 2000 प्रदर्श 2 जमाबंदी खेवटी खतौनी ग्राम जाटान प्रदर्श 3, जमाबंदी संवत 2073-76 प्रदर्श 4 वारिस प्रमाण प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये उनमें वाद भूमि वादी के दादा शेराराम के नाम दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 में जेठाराम के वारिसान में 4 पुत्र महेन्द्रसिंह, हरिसिंह, चन्द्रसिंह, जगदीश प्रसाद तथा इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नही होना अंकित है। इस प्रकार उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी सं 01 के साथ साथ वादी प्रतिवादी सं 2 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर स्वीकार योग्य होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा जाटान के खाता सं 53/48 के खसरा स0 243 की 9.3580है0 खसरा स 243/3 की 1.5810है0 कुल 10.9390है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जेठाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में तन्हा प्रतिवादी सं 01 जेठाराम के बजाए वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 महेन्द्र सिंह प्रतिवादी स0 1 जेठाराम प्रतिवादी सं 02 हरिसिंह प्रतिवादी सं0 3 चन्द्रसिंह प्रतिवादी सं 4 जगदीश प्रसाद को बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15-02-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:31:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner